<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश (द्रुतगामी न्यायालय–प्रथम), अम्बेडकरनगर।</u>

<u>सत्र परीक्षण संख्या–37/2025 क0नं0–189/2025</u>

उ0प्र0 राज्य——————प्रति————शुभम गुप्ता व अन्य

मु0अ0सं0–135/2020
धारा–395,397 भा0दं0सं0
थाना–अकबरपुर
जिला–अम्बेडकरनगर।

<u>22.12.2025</u>

1. पत्रावली आज प्रार्थनापत्र 20ब पर आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थनापत्र 20ब पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक) को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है।

2. प्रार्थना पत्र 20ब अन्तर्गत धारा–227 दं0प्र0सं0/250 बी.एन.एस.एस. प्रार्थी/अभियुक्त शुभम गुप्ता की ओर से प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त बनाया गया है जो कि पूर्णतः निर्दोष है। पूर्व से प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा हे। मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थी के ऊपर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा 459,380,511 आई०पी०सी० में दर्ज कि गई थी। मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 16/06/2020 को धारा 120बी आई०पी०सी० की बढ़ोत्तरी की गई है। दिनांक 14/06/2020 को आरोप पत्र संख्या–170/2020 धारा 395,397 आई०पी०सी० माननीय न्यायलय को प्रेषित किया गया है। मुकदमा उपरोक्त में एफ०आई०आर० में ही वादी मुकदमा ने स्वीकार किया है कि " मेरे लड़के वैभव ने अपनी लाइसेन्सी पिस्टल से फायर कर दिया है जो शुभम गुप्ता को लग गई है और वह वहीं गिर पड़ा है।'' वादी मुकदमा ने कहा कि वादी के पुत्र वैभव ने प्रार्थी को गोली मार दी थी। प्रार्थी से पूछने पर प्रार्थी ने अपना नाम व पता बताया, जिस समय वादी द्वारा यह बयान लेना बताया जा रहा है उस समय वादी या प्रार्थी पर गोली चलाने वाले वादी के पुत्र वैभव, वैभव की पत्नी और वादी के परिवार के लोगो के अलावा कोई अन्य व्यक्ति या पुलिसकर्मी या साक्षी मौजूद नहीं था । वादी मुकदमा के पुत्र वैभव द्वारा अभियुक्त शुभम गुप्ता के गाल (जबड़े) में गोली मारी गई थी और गोली अभियुक्त शुभम गुप्ता के गर्दन में फंसी पाई गई थी इस स्थिति में प्रार्थी का किसी के खिलाफ बयान देना अपने में संदेहास्पद है और पुलिस व वादी मुकदमा की मिली भगत को साबित करता है जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी को रंजिशन जान बूझकर मुकदमा उपरोक्त में फंसाया गया है प्रार्थी पूर्णतः निर्दोष है। सी०डी० । में क्रम स0–7 (एफ) में मो0नं0–9919801060 से मो0नं0–7234050464 पर मैसेज भेजने व प्राप्त करने के बारे में सूचना अंकित की गई है, दोनों ही मोबाइल नम्बर प्रार्थी की आई0डी0 पर निर्गत नहीं है और न ही दोनों नम्बर का प्रार्थी से कोई सम्बन्ध है। मो0नं0–9919801060 सावन कुमार व मो0नं0– 7234050464 नदीम आलम के नाम

से रजिस्टर्ड पाए गए है, उक्त दोनों ही व्यक्तियों का पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार का बयान उपरोक्त मुकदमा में अंकित नहीं किया गया है, जिससे पुलिस की विवेचना की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। वादी मुकदमा के पुत्र वैभव द्वारा अभियुक्त शुभम गुप्ता पर गोली चलायी गई थी, पुलिस ने मुकदमा उपरोक्त में वादी मुकदमा के पुत्र वैभव द्वारा प्रयुक्त हथियार व खोखा कारतूस की जप्ती नहीं की है न ही मुकदमा उपरोक्त में सम्बंधित हथियार का कोई जिक्र ही किया है अभियुक्त शुभम गुप्ता के शरीर से निकाली गई गोली को भी पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर मुकदमा उपरोक्त में प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठता है। प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) सी०आर०पी०सी० के तहत न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय अम्बेडकरनगर के समक्ष अन्दर कारागार से पेश किया था, जिसका कथानक पूरी घटना को साफ़ कर देता है और वादी मुकदमा और पुलिस की मिलीभगत की गवाही देता है, जिससे साफ होता है कि पुलिस ने सही तथ्यों को प्रकाश में न लाकर एक झूठी व मनगढ़ंत कहानी रची है। वादी मुकदमा ने अपने पुत्र वैभव को गोली मारने के अपराध से बचाने के लिए पुलिस से मिलकर प्रार्थी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया और प्रार्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, पुलिस द्वारा वादी मुकदमा के खिलाफ किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र न स्वीकार करना व वादी मुकदमा के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण कि पुलिस व वादी मुकदमा मिले हुए हैं। उपरोक्त मुकदमें में ऐसा कोई साक्ष्य पुलिस द्वारा संकलित नहीं किया गया है जो यह साबित करता हो कि प्रार्थी द्वारा उक्त घटना में संलिप्तता पाई जाती हो और प्रार्थी उक्त मुकदमा में अभियुक्त साबित हो रहा हो। प्रार्थी एक संभ्रान्त एवं सामाजिक परिवार से ताल्लुक रखता है, जिसकी समाज में साख काफी साफ है, प्रार्थी की छवि धूमिल करने व प्रार्थी के भविष्य को बर्बाद करने की नियत से उक्त मुकदमे में रंजिशन फंसाया गया है, जिससे प्रार्थी को उन्मोचित किया जाना न्यायहित में है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर गंभीरता से विचार करते हुए प्रार्थी को न्यायहित में मुकदमा उपरोक्त से उन्मोचित करने की कृपा करें ।

3. विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ''दाण्डिक'' द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र का विरोध कर तर्क किया गया है कि जो तथ्य अभियुक्तपक्ष द्वारा उठाये गये हैं उनके संबंध में कोई निष्कर्ष साक्ष्य उपरान्त ही निष्कर्षित किया जा सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध मेडिकल रिपोर्ट व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोप विरचित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। प्रार्थना पत्र मात्र विचारण को विलम्बित करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

4. पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों एवं साक्ष्य का परिशीलन किया गया।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त

शुभम गुप्ता के विरूद्ध संलग्न केस डायरी, मेडिकल रिपोर्ट, चश्मदीद साक्षियों के बयान व अन्य साक्ष्य सामग्री के आधार पर प्रस्तुत आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है। अभियुक्त प्रथम सूचना में नामजद अभियुक्त है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मामले के विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त अभियुक्त शुभम गुप्ता के विरूद्ध जुर्म धारा–395,397 भा0दं0सं0 का अपराध बखूबी साबित पाते हुए आरोप–पत्र सं0–170/2020 दिनांक 16.06.2020 को प्रेषित किया गया।

6. **सूरज सिंह अहलावत व अन्य–बनाम–उ0प्र0 राज्य व अन्य, ए0आई0आर0 2013, सुप्रीम कोर्ट, पेज–52** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि आरोप विरचित करते समय यह देखना होगा कि अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध कारित करने का संदेह है।

7. अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए स्पष्ट होता है कि अभियुक्त शुभम गुप्ता घटना में शामिल रहें हैं। अभियुक्त द्वारा जो भी आधार लिये गये हैं वह साक्ष्य के विषय हैं। प्रार्थी/अभियुक्त शुभम गुप्ता के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–395, 397 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप विरचित किये जाने हेतु पत्रावली पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है, तथा अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 20ब अन्तर्गत धारा–227 दं0प्र0सं0/250 बी.एन.एस.एस. में कोई बल प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

8. प्रार्थी/अभियुक्त शुभम गुप्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 20ब अन्तर्गत धारा–227 दं0प्र0सं0/250 बी.एन.एस.एस. निरस्त किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त शुभम गुप्ता के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–395,397 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य व सामाग्री उपलब्ध है। पत्रावली दिनांक–21.01.2025 को आरोप विरचना हेतु पेश हो।

(परविन्द कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित–।,
अम्बेडकर नगर।
जे0ओ0 कोड नं. यूपी1837

दिनांकः–22.12.2025